

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

गोरधन बनाम नारायणसिंह वगै०

JCMS-2025/104

मुकदमा नम्बर :- 52/2025

वाद पत्र धारा 53,188 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	17.04.2025	<p>वकील वादी ने वाद पत्र पेश किया। रिपोर्ट दफ्तर हो चुकी है। धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण की तलबी की जाकर पत्रावली दिनांक 16/5/25 को पेश हो।</p> <p>16/5/25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय में समय समाप्त होने तक वकील वादी के बार-बार आवाम खिलायी गयी। वकील वादी अधालतक व पत्रालतक अनुपस्थित है अतः पत्रावली वकल वपरी अलग पेशी में खारिज की जाती है पत्रावली दर्ज नबकर के लाल से तथा डाखिल दफ्तर में प्रारम्भ। प्रतिवादी से। 17/3 के और से राहुल यादव वकील ने U.T. की पत्रावली डाखिल दफ्तर में है।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	<p>उ.टी.ए. 1103 Rajyodh 16/5/25 (राहुल यादव 16/5/25)</p>